न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री अंश दीप, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी ::48 / 2021 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2021 / 220

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
ग्राम पंचायत खाण्डी, तहसील रोहट, जिला पाली जरिये सरपंच जगमाल पुत्र श्री हरारामजी जाति मेघवाल निवासी खाण्डी, तहसील रोहट, जिला पाली (राजस्थान)		1. सोहनलाल पुत्र श्री लालारामजी 2. भीमाराम पुत्र श्री लालारामजी 3. लुम्बाराम पुत्र श्री लालारामजी समस्त जातिगण गरूडा, निवासीगण खाण्डी, तहसील रोहट, जिला पाली (राजस्थान)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह राजपुरोहित
अप्रार्थी की ओर से श्री हिम्मतसिंह जी राजपुरोहित

—:: नि र्ण य ::—

दिनांक :– 16-12-21

वकील प्रार्थी ग्राम पंचायत खाण्डी तहसील रोहट जिला पाली की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत खाण्डी तहसील रोहट के संकल्प संख्या 4 दिनांक 17.4.1980 तथाकथित मिसल संख्या 81 दिनांक 17.4.1980–81 की पालना में जारी पट्टा संख्या 55 दिनांक 20.4.1980 को निरस्त कराने हेतु पेश की है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत से मूल रेकर्ड तलब किया गया।

ग्राम विकास अधिकारी ने रेकर्ड नहीं होने बाबत जरिये पत्रांक ग्रा.पं.खा. / 021 / 86 दिनांक 6.10.2021 के अवगत कराया कि वांछित रेकर्ड गाम पंचायत में नहीं है मिसल कायम नहीं की गई है न ही इस आशय का प्रस्ताव ही पंचायत रेकर्ड में उपलब्ध है बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम खाण्डी की सरहद में स्थित खसरा संख्या 147 रकबा 11.02 बीघा गैर मुमकिन आबादी स्थित है। जो ग्राम पंचायत की है ग्राम खाण्डी से हरावास जाने के लिए पूर्व में खसरा नंबर 158 में से पुराना रास्ता गांव के बीच से जाता था जो संकड़ा था ग्राम की आबादी बढ़ जाने से रास्ता भीड़भाड़ वाला हो जाने पर ग्राम पंचायत खाण्डी से हरावास जाने के लिए एक नया रास्ता अपनी आबादी भूमी खसरा नंबर 147 में से निकाला तथा नरेगा से रास्ते की भूमी पर ग्रेवल सडक का उस समय ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कराया अप्रार्थी द्वारा उक्त खसरा नंबर 147 में खाण्डी से हरावास रास्ते की भूमी पर अतिक्रमण सन् 2013 में किया गया जिसकी शिकायत होने पर ग्राम पंचायत ने 2013 में विधिक कार्यवाही कर रास्ते से अतिक्रमण हटाया प्रार्थी द्वारा दिनांक 15.2.2021 को पुनः कब्जा कर अतिक्रमण कर दिया। ग्राम वासियों की शिकायत पर पंचायत ने पुलिस में शिकायत की व उन्होंने उक्त भूमी में अतिक्रमण नहीं करने बाबत पाबन्द भी किया अप्रार्थीगण द्वारा दोनों समय अपने पक्ष के स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज पेश नहीं किए। तथा 5.6.2021 को सड़क निर्माण खाण्डी से हरावास चलते समय पुनः अप्राथीगण द्वारा रास्ते को अवरूद्ध करते हुए जिस स्थान पर से पंचायत द्वारा अतिक्रमण हटाया था उसी स्थान पर अप्रार्थीगण द्वारा अतिक्रमण किया गया एवं डामर सड़क निर्माण कार्य को भी अवरूद्ध कर दिया है ग्राम पंचायत, स्कूल, पटवार घर, उप स्वास्थ्य केन्द्र सहकारी समिति जाने का एक मात्र यही रास्ता है जो बंद हो गया है तो पंचायत द्वारा बैठक बुलवाई जाकर अतिक्रमण हटाने बाबत नोटिस 2013 की भांति ही लिए गए पंचायत के पूरे कोरम ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव लिया एव [illegible] एवं पुलिस जाब्ते व ग्रामवासियों की उपस्थिति में अतिक्र[illegible] कहा कि उसका पट्टा सुदा प्लॉट है जिसे [illegible] जा रहा है एवं उक्त आशय का प्रार्थना पत्र विकास अधिकारी के समक्ष मय पट्टे की प्र[illegible] किया तथा विकास अधिकारी रोहट से पंचायत क[illegible]षित करने पर पंचाय[illegible]और निगरानी पट्टे की जानकारी हुई। इस प्रकार पट्टे की प्रति प्रेषित कर जांच की गई तो इस आशय की मिसल कायम नहीं होना पाया गया तथा न ही प्रस्ताव लिया जाना ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:40:15 IST
Reason: SelfAttested

क्रमश....................2

जिला कलेक्टर, पाली

पाया गया जैर निगरानी पट्टे बाबत किसी प्रकार का रेकर्ड उपलब्ध नहीं होना पाया गया तथा 15.7.2021 को अप्रार्थी का अतिक्रमण तहसील व पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हटाया गया। उनके जाते ही अप्रार्थीगण द्वारा पुनः कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया इस प्रकार कूटरचित पट्टा तैयार कर उक्त पट्टे की आड़ में रास्ते की भूमी पर अतिक्रमण किया है पट्टे को निरस्त किया जाना अतिआवश्यक है इस वजह से ग्राम पंचायत द्वारा निगरानी पेश की गई है। पट्टा बनाने हेतु अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया। पंचायत में किसी प्रकार का राजस्व जमा नहीं कराया तथा नक्शा नहीं बनवाया न आपति इश्तिहार ही जारी किया गया न दो स्वतंत्र गवाहों के बयान लिए गए है ग्राम पंचायत में इस पट्टा को जारी करने बाबत प्रस्ताव ही नहीं लिया गया। पट्टे सम्बन्धी पत्रावली सलंग्न पट्टे की फोटो प्रति से स्पष्ट है जो उक्त मिसल संख्या 81 दिनांक 17.4.1980–81 को दर्ज होना जाहिर है तथा पट्टा 20.4.1980 को जारी होना भी स्पष्ट है इस प्रकार मात्र 3 दिवसों में पट्टे सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण नहीं होती है जबकि पट्टा राजस्थान पंचायत राज नियम 1961 के नियम 266 के तहत जारी किया गया है इससे स्पष्ट है कि पट्टा कूटरचित है पट्टा रास्ते की भूमी खसरा नंबर 147 पर जारी किया गया है वही प्रार्थी अतिक्रमण कर रहा है इससे ग्राम खाण्डी से हरावास जाने वाला आबादी भूमी का रास्ता अवरूद्ध हो रहा है इसके लिए पंचायत कोरम ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध अतिक्रमण हटाने बाबत प्रस्ताव पारित किया है अप्रार्थीगण द्वारा ली गई निर्माण इजाजत बाबत अनापति भी फर्जी है कूट रचित है इस बाबत पुलिस थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई जो 24.6.2021 से अनवेषणाधीन हैं ग्राम पंचायत के पूरे कोरम ने दिनांक 6.8.2021 को प्रस्ताव सूंख्या 7 लेकर सरपंच को उक्त निगरानी पेश करने के लिए अधिकृत किया है लिहाजा उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर जैर निगरानी पट्टा निरस्त फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत खाण्डी द्वारा तत्कालीन सरपंच द्वारा लगभग 32 वर्षों पूर्व अप्रार्थीगण के पिता के नाम पट्टा जारी किया गया था तब से लगातार मौके पर पहले पिता का व बाद में पुत्रों का रहवास है अप्रार्थी के पिता अनुसूचित जाति के व्यक्ति थे तथा गरीब तबके के थे तथा कच्चा ही मकान था अब भाईयों की सहमति से पक्का मकान निर्माण किया है। आबादी खसरा नंबर 147 की भूमी है जिसमें ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का अधिकार है वर्तमान सरपंच द्वेष भावना से कार्य कर पट्टे को खारिज कराना चाहता है उसके चाचा द्वारा सरपंच के विरूद्ध चुनाव लड़ा गया था तथा इसी राजनैतिक अदावदी से वर्तमान सरपंच द्वारा यह कार्यवाही की जा रही है खाण्डी से हरावास जाने का हेतु एईन पीडबल्यूडी के कहे अनुसार मकान की भूमी मे से रास्ता दे दिया था फिर भी सरपंच उक्त पट्टे को खारिज कराने पर आमादा है। जो विधीक रूप से सही नहीं है सिविल न्यायालय से स्थगन प्राप्त किया वहां सरपंच पक्षकार बनाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है पट्टे सम्बन्धी जानकारी होते ही इसे खारिज कराने हेतु प्रकरण पेश किया है जैर निगरानी पट्टे तत्कालीन जिला कलक्टर महोदय ने बाढ़ पिड़ित लोगो को एक ही दिन में एक ही मिसल से पट्टे जारी किए थे उदाहरण के बतौर वकील अप्रार्थी द्वारा कुछ पट्टे भी पेश किए गए जिसमें ऐसा होने का तर्क दिया गया एवं कुछ रोज में ही पट्टा जारी किया जाना उल्लेखित होना बताया है तथा कुछ अन्य सरकारी भूमीयों का कतिपय व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण करने का भी कथन किया है जिनमें एक बेचाण रजिस्ट्री की प्रति भी पेश कर बेचाण करने का कथन किया है उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज फरमाने हेतु निवेदन किया गया।

बहस सुनी गई पत्रावली एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब का भी अवलोकन यिका [illegible] य बिन्दु 3 है :–

1. क्या जैर निगरानी पट्ट[illegible] भूमी पर जारी किया गया है ?
2. क्या जैर [illegible] करते हुए जारी किया गया है ?
3. क्या ग्रमा पंचायत का सर[illegible] निगरानी ग्राम पंचायत के नाम से दर्ज करवा सकता है ?

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:40:15 IST
Reason: SelfAttested

क्रमश.....................3

जिला कलक्टर, पाली

जैर निगरानी पट्टा ख़सरा नंबर 147 रास्ते की भूमी पर जारी किया जाना बताया है जो कि निगरानीकर्ता द्वारा स्वीकार किया गया है तथा पट्टा धारक भी यह स्वीकार करता है तथा इसी रास्ते की भूमी में से कुछ भूमी रास्ते के लिए पीडब्लयूडी को दी जाने का उल्लेख किया है एवं इसी भूमी को खसरा नंबर 158 के रास्ते के संकड़े होने पर रास्ते के रूप में पंचायत द्वारा दी जाने का निवेदन किया है। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा 2013 में अप्रार्थी के विरूद्ध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई एवं उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही के दौरान जैर निगरानी पट्टा ग्राम पंचायत के समक्ष पेश नहीं किया गया इस प्रकार पूर्व में उक्त पट्टा ग्राम पंचायत को न देना इस पट्टे के सम्बन्ध में संदेह पैदा करता है।

पट्टे की पत्रावली ग्राम पंचायत के रेकर्ड में उपलब्ध नहीं है। ग्राम विकास अधिकारी द्वारा अतिक्रमण करना बताया गया है पट्टे पर मिसल दिनांक 17.4.80 तथा जारी दिनांक 20.4.80 है। तत्समय प्रचलित राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1953 के सामान्य नियम 1961 के नियम 260 कें अनुसार "यदि पंचायत अस्थाई रूप से यह निर्णय करे कि विक्रय किया जाना चाहिए तो वह प्रपत्र 50 में एक नोटिस प्रकाशित करेगी जिसमें उपनियम 3 में निर्धारित रिती से ऐसे प्रकाशन की तारिख से 1 माह के भीतर प्रस्तावित विक्रय के सम्बन्ध में आपतियां आमंत्रित की जायेगी।" अतः उक्त नियम के अनुसार आपतियां आमंत्रित करने हेतु भी 1 माह का समय दिया जाना होता है जबकि जैर निगरानी पट्टा जारी करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया तीन दिन में ही पूर्ण कर पट्टा जारी कर दिया गया है जो संभव नहीं है न ही विधिसम्मत है। पट्टे पर दिनांक 17.4.1980–81 लिखी हुई है जो संदेहास्पद है। इस प्रकार विधिक त्रुटि होना स्पष्ट पाया जाता है।

उक्त प्रकरण में सरपंच द्वारा ग्राम पंचायत के कोरम से अनुमोदन उपरांत निगरानी दायर की है जो विधिसम्मत है।

उपरोक्त तथ्यों एवं विचारणीय बिन्दुओं के निष्कर्षों के फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत खाण्डी द्वारा संकल्प संख्या 4 दिनांक 17.4.1980 की पालना में जारी पट्टा संख्या 55/20.4.1980 जो तथाकथित मिसल संख्या 81 दायरा दिनांक 17.4.80–81 में पारित आदेश की पालना में जारी किया गया है उन सभी को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16-12-21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:40:15 IST
Reason: SelfAttested